संख्या-178/2017/2242/17-27-सिं0-4-90(डब्ल्यू)परि0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 07 सितम्बर, 2017

विषय: बकहर मड़िहान पोषक नहर के पुनर्स्थापना की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (बजट), कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2351/आई0बी0/अनु0-94, दिनांक 28 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-118/2016/974/16-27-सिं0-4-90(डब्ल्यू)परि0/14, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **बकहर मड़िहान पोषक नहर के पुनर्स्थापना की परियोजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4701-05-051-10-1006-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 4,50,00,000.00 (रूपया चार करोड़ पचास लाख मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय परियोजना के स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। किसी भी दशा में परियोजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यदि किसी कार्य के लिए दोहरी स्वीकृति का मामला प्रकाश में आता है तो उसे अविलम्ब शासन के संज्ञान में लाकर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देश प्राप्त कर लिए जाऐंगे। प्रश्नगत धनराशि परिव्यय के अन्तर्गत ही व्यय की जाएगी।

3- परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियां, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।

5- उक्त धनराशि का वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जाएगा तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

6- परियोजना पर होने वाले व्यय का विवरण बी0एम0 प्रपत्र-13 पर शासन के सिंचाई अनुभाग-4/9 एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रश्नगत स्वीकृति का उपयोग परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- सेण्टेज चार्ज एवं लेबर सेस की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेशों में अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार जमा/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के **लेखाशीर्षक-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-05-घाघर एवं गरई नहरें(वाणिज्यिक)-051-निर्माण-10-नहरें-1006-पुनर्स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-178/2017/2242/17-27-सिं0 एवं ज0सं0-4 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिं0 एवं ज0 सं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
8- नियोजन अनुभाग-3
9- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in